अनुदान संख्या 73 - योजना मंत्रालय
GRANT No. 73–MINISTRY OF PLANNING

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	626,00,00	636,83,00	82,82,24	–554,00,76
पूरक	Supplementary	10,83,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				547,83,50
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted–		18,00,00	9,87,79	–8,12,21
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				4,66,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (55400.76 लाख रु.) अक्तूबर, 2008 में प्राप्त किए गए 1083.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 87 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.55400.76 lakhs) exceeded the supplementary grant of Rs.1083.00 lakhs obtained in October, 2008 and constituted 87 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451" सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	5070.00	6089.50	5879.83	–209.67
पू.	S.	898.00			
पु.	R.	121.50			

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "2203" तकनीकी शिक्षा	Major Head "2203" Technical Education					
मू.	O.	30000.00				
पु.	R.	–30000.00		. .	. .	. .
मुख्य शीर्ष "3425" अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	Major Head "3425" Other Scientific Research					
मू.	O.	200.00				
पु.	R.	–200.00		. .	. .	. .
मुख्य शीर्ष "3475" अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Major Head "3475" Other General Economic Services					
मू.	O.	9050.00				
पू.	S.	185.00		2417.00	2032.07	–384.93
पु.	R.	–6818.00				
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments					
मू.	O.	17680.00				
पु.	R.	–17310.00		370.00	369.63	–0.37
मुख्य शीर्ष "3602" संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments					
मू.	O.	500.00				
पु.	R.	–500.00		. .	. .	. .

(I) 51400.00 लाख रु. का प्रावधान निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत छह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(I) Provision of Rs.51400.00 lakhs remained wholly unutilised under six heads under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2203" - "अन्य व्यय - पीपीपी के माध्यम से कौशल विकास में नई पहल" - 30000.00 लाख रु.;

(A) Major Head "2203" – "Other Expenditure – New Initiative in Skill Development through PPP"– Rs.30000.00 lakhs;

(खा) मुख्य शीर्ष "3425" - "अन्य - अन्य व्यय - ऊर्जा (अनुसंधान एवं विकास)" - 200.00 लाख रु.;

(B) Major Head "3425" – "Others – Other Expenditure – Energy (R&D)" – Rs.200.00 lakhs;

(गा) मुख्य शीर्ष "3601" - "केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं - अन्य अनुदानें - राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर योजना प्रक्रिया को सहायता" - 17500.00 लाख रु.;

(C) Major Head "3601" – "Grants for Central Plan Schemes – Other General Economic Services - Other Grants – Support to Planning Process at National, State and District Level" – Rs.17500.00 lakhs;

(घा) मुख्य शीर्ष "3602" - "केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं - अन्य अनुदानें - राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर योजना प्रक्रिया को सहायता" - 500.00 लाख रु.; और

(D) Major Head "3602" – "Grants for Central Plan Schemes – Other General Economic Services – Other Grants – Support to Planning Process at National, State and District Level" – Rs.500.00 lakhs; and

(ङ) मुख्य शीर्ष "3475" - "अन्य व्यय" -

(E) Major Head "3475" – "Other Expenditure"-

(क) " राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर योजना प्रक्रिया को सहायता" - 2000.00 लाख रु.।

(a) "Support to Planning Process at National, State and District Level" – Rs.2000.00 lakhs.

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान स्कीम को कार्यान्वित न किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above five heads remained unutilised due to non-implementation of the scheme.

(ख) "आईएएमआर को सहायता अनुदान" - 1200.00 लाख रु. कम अनुसंधान अध्ययन प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण थे।

(b) "Grants-in-aid to IAMR" – Rs.1200.00 lakhs – due to receipt of less research study proposals.

(II) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाए गए अनुसार पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(II) Supplementary grant obtained under the following major heads remained wholly unutilised as shown against each:-

(का) मुख्य शीर्ष "3451" - "योजना आयोग/योजना बोर्ड - प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद" - 210.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 23.00 लाख रु. का पूरक

(A) Major Head "3451" - "Planning Commission/Planning Board – Economic Advisory Council to the Prime Minister" – the original provision of Rs.210.00 lakhs was

अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 233.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 117.68 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों के न भरे जाने तथा कम घरेलू और विदेशी दौरे किए जाने के कारण हुई।

(खा) मुख्य शीर्ष "3475" - "अन्य व्यय - योजना लेखाकरण और लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली" - 1625.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 64.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1689.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 1669.51 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) पदों को स्वीकृति प्रदान न किए जाने, प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाला कम संख्या में होने और कार्यालय आवास को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "3451" - "योजना आयोग/योजना बोर्ड - कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन" के अंतर्गत 370.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 138.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 508.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो रिक्त पदों के न भरे जाने और क्षेत्रीय मूल्यांकन संगठन और कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन मुख्यालय से कम चिकित्सा दावे प्राप्त होने के कारण 73.75 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(IV) मुख्य शीर्ष "3451" - "योजना आयोग/योजना बोर्ड - कार्यालय प्रणालियों का आधुनिकीकरण" के अंतर्गत 330.37 लाख रु. की बचत (890.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को सौंपे गए कार्य का पूरा न किए जाने और कंप्यूटर उपस्करों/उपभोज्य मदों की कम अधिप्राप्ति किए जाने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "3475" - "अन्य व्यय" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "राज्य मानव विकास प्रतिवेदन तैयार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से सहायता" - 175.00 लाख रु. की बचत (775.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ परियोजनाओं को अंतिम रूप न दिए जाने और राज्य

augmented to Rs.233.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.23.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.117.68 lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling up of vacant posts and less domestic and foreign tours.

(B) Major Head "3475" - "Other Expenditure - Plan Accounting and Public Finance Management System" – the original provision of Rs.1625.00 lakhs was augmented to Rs.1689.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.64.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.1669.51 lakhs (including supplementary grant) - due to non-sanction of posts, less number of training programmes/workshops and non-finalisation of office accommodation.

(III) Under Major Head "3451" – "Planning Commission/Planning Board - Programme Evaluation Organisation" – the original provision of Rs.370.00 lakhs was augmented to Rs.508.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.138.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.73.75 lakhs - due to non-filling up of vacant posts and receipt of less medical claims from Regional Evaluation Organisation and Programme Evaluation Organisation Headquarter.

(IV) Under Major Head "3451" – "Planning Commission/Planning Board - Modernisation of Office Systems" – saving of Rs.330.37 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.890.00 lakhs) was due to non-completition of work awarded to Central Public Works Department and less procurement of computer equipments/ consumables.

(V) Under Major Head "3475" – "Other Expenditure" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Assistance from UNDP for Preparation of State Human Development Reports" - saving of Rs.175.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.775.00 lakhs) was due to non-

तथा राष्ट्रीय संसाधन संस्थाओं द्वारा कम उपयोग किए जाने के कारण हुई।

(खा) ''योजना के 50वें वर्ष की शुरूआत'' - 1018.03 लाख रु. की बचत (1560.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम अध्ययन प्रस्ताव प्राप्त होने, 11वीं योजना दस्तावेज के मुद्रण और विवेकाधीन अनुदान/पुरस्कारों आदि के लिए निधियों की कम आवश्यकता होने के कारण हुई।

(गा) ''सरकार में मूल्यांकन क्षमता का सुदृढ़ीकरण'' - 1059.07 लाख रु. की बचत (1200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न मूल्यांकन अध्ययनों को कार्यान्वित न किए जाने, कार्यालय उपस्करों की कम अधिप्राप्ति किए जाने और रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण हुई।

(VI) दो शीर्षों के अंतर्गत 162.95 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक किन्तु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 30 प्रतिशत और 99 प्रतिशत थीं।

2.(I) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष ''3451'' - ''योजना आयोग/योजना बोर्ड - मुख्यालय'' - 361.04 लाख रु. का अधिक व्यय (737.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 4150.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छठे केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू किए जाने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - सचिवालय - आर्थिक सेवाएं - योजना आयोग/योजना बोर्ड - ग्रामीण विकेंद्रीकरण और सहभागिता आयोजना और गरीबी उपशमन के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम सहायता'' - 189.63 लाख रु. का अधिक व्यय (180.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

finalisation of some projects and less utilisation by States and National Resource Institutions.

(B) "50th Year Initiative for Planning" - saving of Rs.1018.03 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1560.00 lakhs) was due to receipt of less study proposals, less requirement of funds towards printing of 11th Plan document and discretionary grants/awards etc.

(C) "Strengthening Evaluation Capacity in Government" - saving of Rs.1059.07 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1200.00 lakhs) was due to non-implementation of various evaluation studies, less procurement of office equipments and non-filling up of vacant posts.

(VI) Under two heads savings of Rs.162.95 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituted 30 percent and 99 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "3451" – "Planning Commission/Planning Board - Headquarters" – excess of Rs.361.04 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.4150.00 lakhs including supplementary grant of Rs.737.00 lakhs) was due to implementation of 6th Central Pay Commission Report.

(B) Major Head "3601" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Secretariat - Economic Services - Planning Commission/ Planning Board – UNDP Assistance for Rural Decentralisation and Participatory Planning and Poverty Reduction" – excess of Rs.189.63 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.180.00 lakhs) was due to requirement of additional funds from United Nations Development Programme.

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत 83.22 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 55 प्रतिशत था।

(II) Under one head excess of Rs.83.22 lakhs occurred constituting 55 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''5475'' अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5475" Capital Outlay on Other General Economic Services				
मू.	O.	1800.00	1334.00	987.79	–346.21
पु.	R.	–466.00			

(I) शीर्ष ''अन्य व्यय'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''कार्यालय प्रणालियों का आधुनिकीकरण'' - 339.60 लाख रु. की बचत (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कंप्यूटर, साफ्टवेयर और अन्य सूचना प्रौद्योगिकी उपस्करों की खरीद के प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(खा) ''योजना लेखाकरण तथा लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली'' - 472.61 लाख रु. की बचत (800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यालय/कंप्यूटर उपस्करों की अधिप्राप्ति के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(I) Under "Other Expenditure" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Modernisation of Office Systems" – saving of Rs.339.60 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals for purchase of computers, software and other Information Technology equipments.

(B) "Plan Accounting and Public Finance Management System" – saving of Rs.472.61 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.800.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards procurement of office/computer equipments.